कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./बी/विपूमैछा/आवंटन/2023-24/114 दिनांकः 22/06/2023

विज्ञप्ति

राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु तीन अलग-अलग **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु** प्रवेश पूर्व परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन लेते हुए निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रवेश प्रकिया संपादित की जाकर प्रवेश दिये जाएंगे

योजना का नाम	सत्र 2023-24 हेतु उपलब्ध रिक्तियां			
	वर्ग	रिक्तियां		
		छात्र	छात्रा	योग
शिक्षा विभागीय योजना	अनुसूचित जाति	172	114	286
	अनुसूचित जनजाति	128	86	214
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) योजना	अनुसूचित जनजाति-जनजाति उपयोजना क्षेत्र (03 जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं 05 जिलों का आंशिक क्षेत्र कुल 08 जिले)	170	130	300
	अनुसूचित जनजाति गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र (शेष जिले एवं 05 जिलों का आंशिक क्षेत्र)	120	80	200
विशेष समूह योजना (देवनारायण गुरूकुल योजना)	(अति पिछड़ा वर्ग-एम.बी.सी.)	300	200	500

छात्र/छात्रा की पात्रता :

(अ)	छात्र/छात्रा को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
(ब)	छात्र/छात्रा को उक्त तीनों योजनाओं से संबंधित वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग) का होना चाहिए।
(स)	छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में वर्ष 2022-23 में **कक्षा 5** में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए।
(द)	छात्र/छात्रा के माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
(य)	इस योजना में एक माता-पिता की अधिकतम दो संतानें ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होंगी। इस आशय का घोषणा पत्र अंतिम चयन के समय अनिवार्यतः माता-पिता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रवेश पूर्व परीक्षा :

(अ)	प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्नो का स्तर, कक्षा 5 के विभागीय पाठ्यक्रम के समकक्ष रहेगा।
(ब)	प्रवेश पूर्व परीक्षा में हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व अंग्रेजी प्रत्येक विषय को 20 का भारांक देकर कुल 100 अंको का प्रश्न पत्र आएगा जिसे 2 घंटे में हल करना होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगें।
(स)	परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का शुल्क छात्र/छात्रा से नहीं लिया जायेगा।
(द)	**प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन दिनांक 23.07.2023, रविवार को किया जायेगा।**
(य)	प्रवेश पूर्व परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 13.07.2023 से 14.07.2023 तक विभागीय वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in पे क्लिक करके VPMS बटन पर भी उपलब्ध रहेंगें। परीक्षा प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक डालने पर ऑनलाईन डाउनलोड किया जा सकता है।
(र)	मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश संलग्न सूची में वर्णित निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में ही दिया जायेगा।

Rajasthan Education Department

आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण :	
(अ)	छात्र/छात्रा को उपर्युक्त योजनाओं के लिए विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 23.06.2023 से ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ किया जायेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in पे क्लिक करके VPMS बटन पर उपलब्ध है। इसके लिए होम पेज पर VPMS Apply टेब पर क्लिक कर आवेदन पत्र ऑनलाईन किया जा सकता है। **ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 05.07.2023, बुधवार है। उसके पश्चात लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जायेगा।**
(ब)	आवेदन पत्र भरते समय अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसे ऑनलाईन संशोधन करने की तिथियां 06.07.23 से 07.07.23 तक रहेगी। इसके पश्चात विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में आवेदक के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आवासीय पता, जाति एवं आवेदक वर्ग में परिवर्तन किया जा सकेगा।
(स)	छात्र–छात्रा को ऑनलाईन आवेदन करने हेतु Shala darpan/PSP STUDENT NIC ID की आवश्यकता होगी। यह Shala darpan/PSP STUDENT NIC ID के लिए **https://rajshaladarpan.nic.in** पर search student पर क्लिक करते ही विद्यार्थी से संबंधित वांछित सूचनाएं (यथा स्कूल का प्रकार, जिला, ब्लॉक, स्कूल का नाम एवं विद्यार्थी के नाम का प्रथम अक्षर) भरते ही सूची खुलेगी जिसमें **STUDENT NIC ID** प्राप्त होगी। **STUDENT NIC ID** का एक अन्य लिंक **APPLY** पर क्लिक करने पर भी **click here for search student NIC id** प्रदर्शित होगी। इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित वांछित सूचनाएं (यथा स्कूल का प्रकार, जिला, ब्लॉक, स्कूल का नाम एवं विद्यार्थी के नाम का प्रथम अक्षर) भरते ही सूची खुलेगी जिसमें **STUDENT NIC ID** प्राप्त होगी।
(द)	विद्यार्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसका नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन करके अपलोड किये जायेंगे। पासपोर्ट साईज के फोटो एवं हस्ताक्षर का साईज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, जो कि jpg, JPEG/PNG फॉरमेट होना चाहिए।
(य)	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन भरे हुए आवेदन पत्र (स्वयं का फोटो, हस्ताक्षर एवं अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात) का प्रिन्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रखे, आवेदन पत्र को व्यक्तिशः उपस्थित हो कर किसी भी कार्यालय में जमा नहीं करवायें। अन्तिम चयन एवं विद्यालय आवंटन पश्चात प्रवेश के समय ऑनलाईन प्राप्त टी.सी., जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक में दस्तावेज प्रमाणीकरण उपरांत आवंटित विद्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

समस्त प्रकार की अन्य विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/secondary एंव https://rajshaladarpan.nic.in पे क्लिक करके VPMS बटन पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकती है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./बी/विपूमैछा/आवंटन/2023–24/116 दिनांकः 22/06/2023

(विस्तृत जानकारी/निर्देश)

राज्य में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु तीन अलग–अलग **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं** में सत्र **2023–24 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु** निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया संपादित की जाकर प्रवेश दिये जायेगें :–

1 **योजनाओं के नाम :–**

(अ) **शिक्षा विभागीय योजना**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(ब) **जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) योजना**
अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(स) **विशेष समूह योजना (देवनारायण गुरूकुल योजना)**
अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी) के छात्र–छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

2 **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु 2023–24 में रिक्तियां :–**

(अ) **शिक्षा विभागीय योजना**

वर्ग	2023–24 में रिक्तियां		
	छात्र	छात्रा	योग
अनुसूचित जाति	172	114	286
अनुसूचित जनजाति	128	86	214
कुल योग	300	200	500

(ब) **जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) योजना**

क्षेत्र	छात्र	छात्रा	योग
जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित कुल 08 जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ सम्पूर्ण जिले, उदयपुर जिले की 11 पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिर्वा की सम्पूर्ण गिर्वा पंचायत समिति, तहसील बड़गांव के 35 गांव, तहसील वल्लभनगर के 05 गांव, तहसील भीण्डर के 17 गांव व तहसील मावली के 04 गांव, सिरोही जिले की आबू रोड तहसील एवं पिण्डवाड़ा तहसील के 51 गांव, राजसमन्द जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 व तहसील कुम्भलगढ के 16 गांव, चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील के 51 गांव तथा पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांव सम्मिलित है। क्षेत्र निर्धारण की जो अद्यतन जानकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) की वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, अधिकृत मानी जावेगी	170	130	300
गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र (शेष जिले)	120	80	200
कुल योग	290	210	500

(स) **विशेष समूह योजना (देवनारायण गुरूकुल योजना)**

वर्ग	2023–24 में रिक्तियां		
अति पिछड़ा वर्ग–एम.बी.सी.	छात्र	छात्रा	योग
	300	200	500

3 **छात्र/छात्रा की पात्रता :–**

(अ) छात्र/छात्रा को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। **(विद्यार्थी का स्वयं का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है)**

(ब) छात्र/छात्रा को उक्त तीनों योजनाओं से संबंधित वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग) का होना चाहिए। **(विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है)**

(स) छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में वर्ष 2022–23 में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए।

(द) छात्र/छात्रा के माता–पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। **(आय प्रमाणपत्र अनिवार्य**

है)–परिशिष्ट–1

(य) इस योजना में एक माता–पिता की अधिकतम दो संतानें ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होंगी। इस आशय का घोषणा पत्र अंतिम चयन एवं विद्यालय आवंटन के पश्चात अनिवार्यतः आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक को माता–पिता द्वारा प्रस्तुत करना होगा। **(घोषणा पत्र अनिवार्य है)–परिशिष्ट–2**

4 **आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण :–**

(अ) छात्र/छात्रा को अपना आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 10.05.2023 से ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकेंगें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in पे क्लिक करके VPMS बटन पर क्लिक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में विद्यार्थी का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किये जायेगें अतः विद्यार्थी स्वंय का नवीनतम पासपोर्ट फोटो एवं हस्ताक्षर साथ लेकर जायें। विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वयं के कम्प्यूटर/लैपटॉप से, अध्ययनरत विद्यालय के कम्प्यूटर से अथवा ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेगें। पासपोर्ट साईज के फोटो का प्रकार निम्नानुसार होना चाहिए।

फोटो तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

1. फोटो का आकार 10 kb से 20 kb. के मध्य होना चाहिए।
2. फोटो प्रारूप jpg, .JPEG, .PNG, में होना चाहिए। कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नही होगा।
3. वांछित फोटो का आकार 95 px ऊँचाई व चौड़ाई 75 px. होना आवश्यक है।
4. फोटो स्पष्ट रंगीन और हल्के पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के हस्ताक्षर भी अपलोड किये जाने हैं जिनका प्रकार निम्नानुसार होना चाहिए।

5. विद्यार्थी के हस्ताक्षर का आकार 10 kb से 20 kb. के मध्य होना चाहिए।
6. हस्ताक्षर प्रारूप jpg, .JPEG, .PNG, में होना चाहिए। कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नही होगा। वांछित हस्ताक्षर का आकार 95 px ऊँचाई व चौड़ाई 75 px. होना आवश्यक है।
7. हस्ताक्षर स्पष्ट रंगीन और हल्के पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए।

(ब) विद्यार्थी अपना परीक्षा प्रवेश पत्र दिनांक 12.07.2023 के पश्चात विभागीय वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in पे क्लिक करके आवेदन के क्रमांक डाल कर अपलोड कर सकेगा।

Rajasthan Education Department सत्यमेव जयते

(स) विद्यार्थी द्वारा भरे हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रखे, **आवेदन पत्र को व्यक्तिशः उपस्थित हो कर किसी भी कार्यालय में जमा नहीं करवायें।** शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 05.07.2023, **बुधवार** को रात्रि 12:00 बजे तक रहेगी। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन करने का लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जायेगा। अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(द) आवेदन पत्र भरते समय अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसे ऑनलाईन संशोधन करने की तिथियां 06.07.2023 से 07.07.2023 तक रहेगी। इसके पश्चात विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आवासीय पता, जाति एवं आवेदक वर्ग में ही संशोधन किया जा सकेगा।

(य) शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरते समय किसी भी अभिलेखों की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य नहीं है **अन्तिम रूप से चयनित विद्यार्थी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित विद्यालय के जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक कार्यालय से प्रमाणीकरण उपरान्त आवंटित विद्यालय में प्रवेश लेंगें।** आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करके एक प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एवं एक प्रति आवंटित विद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है :–

★ सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी राजस्थान के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की प्रति

★ सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

(118)

★ छात्र–छात्रा की कक्षा 5 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

★ छात्र–छात्रा द्वारा गत वर्ष में राजस्थान राज्य के विद्यालयों से उत्तीर्ण कक्षा 5 की ऑनलाईन टी.सी.। ऑन लाईन टी.सी. के अभाव में प्रवेश नहीं होगा। राज्य से बाहर के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश लेने से पूर्व अध्ययनरत विद्यालय के जिले के सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवाने के पश्चात टी.सी. प्रस्तुत कर सकते हैं।

★ माता–पिता का आय प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में **(परिशिष्ट–1)**

★ माता–पिता का दो से अधिक संतान योजनांतर्गत लाभान्वित न होने का स्वघोषणा पत्र **(परिशिष्ट–2)**

(र) प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण एवं मेरिट अनुसार अन्तिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को संलग्न सूची में वर्णित विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जायेगा। अतः विद्यार्थी संलग्न सूची में वर्णित विद्यालयों में से ही प्रवेश हेतु विद्यालय का चयन करें।

5 **प्रवेश पूर्व परीक्षा (पाठ्यक्रम, केन्द्र, आयोजन एवं परिणाम) :–**

(अ) प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्नों का स्तर, कक्षा 5 के विभागीय पाठ्यक्रम के समकक्ष रहेगा।

(ब) **प्रवेश पूर्व परीक्षा में हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व अंग्रेजी प्रत्येक विषय को 20 का भारांक देकर कुल 100 अंको का प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसे 2 घंटे में हल करना होगा। यह प्रश्नपत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी लिपि में मुद्रित होगा।**

(स) परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(द) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन जिले के राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में करवाया जा सकेगा। प्रवेश पूर्व परीक्षा में वीक्षक के रूप में केवल राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को ही नियुक्त किया जावे।

(य) छात्र–छात्राएं स्वयं का प्रवेश पत्र ऑनलाईन शाला दर्पण पोर्टल की विभागीय वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in पे क्लिक करके VPMS बटन पर अपने आवेदन पत्र के क्रमांक डालकर डाउनलोड करके उसके निर्धारित स्थान पर स्वयं का नवीनतम फोटो चस्पा करके एवं साथ में कोई भी एक आई. डी. प्रूफ लेकर परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्यतः ले कर जाना होगा इसके अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(र) प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन दिनांक 23.07.2023, रविवार को प्रातः 10.00 से 12.00 तक किया जायेगा।

(ल) प्रवेश पूर्व परीक्षा का परिणाम शाला दर्पण पोर्टल वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in एवं शिक्षा विभागीय वेबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in/secondary** के **Scholarship** टेब पर अपलोड किया जायेगा।

6 **छात्र–छात्राओं को योजनांतर्गत देय सुविधाएं :–**

(अ) छात्र/छात्रा को नियमानुसार गुणात्मक शिक्षा, स्वच्छ आवास एवं बिस्तर, भोजन, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री आदि की निःशुल्क सुविधाएं विद्यालय द्वारा देय होंगी। जिसके लिए विद्यालय को अधिकतम रु 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) वार्षिक अथवा विद्यालय द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि दोनो में जो भी कम हो, का पुनर्भरण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। छात्र/छात्रा द्वारा किसी भी तरह की राशि विद्यालय को नहीं देनी होगी।

(ब) छात्र–छात्रा को कक्षा 6 से 12 तक में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जायेगा।

(स) प्रवेश पूर्व परीक्षा में चयनित छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जायेगा। तत्पश्चात् कक्षा 12 तक प्रतिवर्ष स्वतः ही उनका नवीनीकरण होता रहेगा बशर्ते कि इन छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम "C" Grade अथवा 50 प्रतिशत अंक अर्जित किये जावे। (स्पष्टीकरण :– कक्षा 6 से 8 तक विभाग में ग्रेडिंग पद्धति प्रचलन में है जबकि कक्षा 9 से 12 तक अंक पद्धति तदनुसार उक्त शर्त का परीक्षण प्रतिवर्ष किया जा सकेगा)

7 अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के योजनावार चयन का आधार :–

(अ) विद्यार्थी द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर आवेदन केटेगरीवार किया जाना है। विद्यार्थी जिस केटेगरी (यथा एस.सी विभागीय/एसटी विभागीय/एमबीसी/एसटी (टीएडी) 08 जिले/एसटी (टीएडी) 25 जिले) हेतु आवेदन करेगा उसका अन्तिम चयन उसी केटेगरी में किया जायेगा। परीक्षा

परिणाम केटेगरी वार पृथक–पृथक (05 केटेगरी छात्र वर्ग एवं 05 केटेगरी छात्रा वर्ग हेतु निर्धारित की गई है) जारी किया जायेगा।

8 विद्यालय का आवंटन :–

(अ) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन में वर्णित विद्यालयों की वरियता के कम मे से कक्षा 6 की रिक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर वरियता अनुसार एक विद्यालय आवंटन किया जायेगा।

(ब) निदेशालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह में विद्यालय आवंटन सूची जारी कर दी जायेगी। जिसकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in एवं विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/ secondary पर उपलबध होगी, एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा होगी।

(स) विद्यार्थी को इस कार्यालय द्वारा आवंटित विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विद्यालय आवंटन के दिनांक से एक सप्ताह में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक कार्यालय में विद्यार्थी/अभिभावक व्यक्तिगत सम्पर्क कर मूल दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पश्चात आवटित विद्यालय में प्रवेश लेंगें।

विशेष : **चूंकि छात्र/छात्रा से ऑनलाईन आवेदन के समय किसी प्रकार के दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाने हैं अत कोई भी छात्र/छात्रा अपने आवेदन पत्र में मिथ्या/गलत जानकारी नहीं भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र में वर्णित समस्त डाटा के आधार पर ही विद्यालय आवंटन की कार्यवाही संपादित की जायेगी। अतः छात्र/छात्रा को विद्यालय आवंटित कर देने/प्रवेश दे देने के बाद भी पात्रता में किसी प्रकार की कमी उजागर होने पर उसका चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा । मिथ्या तथ्य/जानकारी देकर प्रवेश का प्रयास करने पर छात्र–छात्रा/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार FIR/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**

Rajasthan Education Department

(काना राम)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./बी/विपूमैछा/आवंटन/2023–24/119 दिनांकः 22/06/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
5. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि सत्र 2023–24 के लिए विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत कक्षा 06 में प्रवेश हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा के आवेदन को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23.06.2023 से भरवाने की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
6. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि छप्र स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं उप निदेशक शाला दर्पण से समन्चय कर ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. **पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर भेजकर लेख है कि सत्र 2023–24 के लिए विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत कक्षा 06 में प्रवेश हेतु दिनांक 23.07.2023 को आयोज्य प्रवेश पूर्व परीक्षा के लिए परीक्षा संबंधी समस्त कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।**
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2023–24 के लिए विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत कक्षा 06 में प्रवेश हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा के आवेदन को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरवाने के संबंध में योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए स्थानीय समाचार पत्रों में भी निःशुल्क न्यूज प्रकाशित करवाते हुए वांछित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति सत्र 2023–24 में प्रवेश प्रकिया हेतु करणीय कार्य एवं टाइम लाईन

क.सं.	कार्य करनें वाले कार्यालय का नाम	करणीय कार्य	तय दिनांक
1.	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	NIC के द्वारा विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2023–24 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु छात्र–छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने हेतु शाला दर्पण पोर्टल के Scholarship Module में Live करना।	23.06.2023
2.	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	छात्र–छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in/SD2/scholarship/HomePage.aspx पर ऑनलाईन आवेदन प्रांरम्भ करने एवं अन्तिम तिथि	24.06.2023 से 05.07.2023
	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	आवेदन पत्र भरते समय अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसे ऑनलाईन संशोधन करने की तिथि	06.07.2023 से 07.07.2023
3.	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात NIC के द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में भरा गया परीक्षा केन्द्र जिला की वरीयता के आधार पर विद्यार्थियों की जिलेवार सूची जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–(मुख्यालय) एवं कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर को शाला दर्पण पोर्टल के Scholarship Module में लॉगिन पर उपलब्ध करवाना।	दिनांक 10.07.2023
4.	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–(मुख्यालय)	शाला दर्पण पोर्टल के लॉगिन पर उपलब्ध परीक्षा केन्द्र जिला की वरीयता के आधार पर प्राप्त विद्यार्थियों की सूची के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–(मुख्यालय) द्वारा कुल आवेदन संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करके सूची NIC एवं कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर को उपलब्ध करवाना	दिनांक 10.07.2023 तक
5.	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	NIC के द्वारा परीक्षा केन्द्रों की उपलब्ध सूची एवं छात्र–छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र में भरा गया परीक्षा केन्द्र जिला की वरीयता के आधार पर विद्यार्थियों के नाम के वर्णमालानुसार के कम में प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाईट अपलोड/ जारी करना	दिनांक 12.07.2023 तक
6.	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	NIC के द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रों के आधार पर विद्यार्थियों की प्रवेश पत्रों की संख्या के आधार पर सूची जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–(मुख्यालय), कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर को शाला दर्पण पोर्टल के Scholarship Module में लॉगिन पर उपलब्ध करवाना।	दिनांक 13.07.2023 तक
7.	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	छात्र–छात्रा के द्वारा स्वंय का प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाईट https://rajshaladarpan.nic.in/SD2/scholarship/HomePage.aspx पर ऑनलाईन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 13.07.2023 से 14.07.2023 तक
8.	पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर	NIC के द्वारा प्राप्त आवंटित परीक्षा केन्द्रों एवं विद्यार्थियों को प्रवेश पत्रों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिले को परीक्षा केन्द्रों की संख्या एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पेपर एवं उत्तर पुस्तिकाओं/ओएमआर शीट का वितरण करना	दिनांक 21.07.2023 तक
9.	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–(मुख्यालय)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा द्वारा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं के निर्देशानुसार प्रवेश पूर्व परीक्षा का जिला मुख्यालयों पर आयोजन	23.07.2023 प्रातः 10.00 से 12.00 तक
10.	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–(मुख्यालय)	शाला दर्पण पोर्टल पर प्रवेश पूर्व परीक्षा में उपस्थित/अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा केन्द्रों की सूची के अनुसार अपलोड/ जारी करना	23.07.2023 प्रातः 11.00 से 1.00 तक
11.	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–(मुख्यालय)	प्रवेश पूर्व परीक्षा समापन के पश्चात पेपर एवं उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलो के पैकेट पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर में जमा करवाना।	दिनांक 24.07.2023 तक

12.	पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर	पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक अपलोड करके शाला दर्पण पोर्टल पर परीक्षा परिणाम घोषित करवाना एवं चयनित विद्यार्थियों की योजनावार/मेरिट वार सूची, NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर को Scholarship Module में अपलोड करवाना।	04.08.2023
13.	पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर	निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को चयनित विद्यार्थियों की योजनावार/मेरिट वार सूची उपलब्ध करवाना	04.08.2023
14.	कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर	निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा 06 में छात्र एवं छात्रा की रिक्त सीटों की संख्यावार सूची , NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर को उपलब्ध करवाना।	दिनांक 08.08.2023 तक
15.	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	प्रवेश पूर्व परीक्षा में चयनित 1500 विद्यार्थियों की योजनावार/मेरिट वार सूची के अनुसार NIC के द्वारा Scholarship Module में विद्यार्थी की प्रथम वरियता के आधार पर सूची उपलब्ध करवाना (MS-Excel)	दिनांक 10.08.2023 तक
	कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर	प्रवेश पूर्व परीक्षा में चयनित 1500 विद्यार्थियों की योजनावार/मेरिट वार सूची के अनुसार विद्यार्थी की प्रथम वरियता के क्रम में निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों का आवंटन करना।	दिनांक 16.08.2023 तक
16.	NIC स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर	चयनित 1500 विद्यार्थियों की योजनावार/मेरिट वार सूची के अनुसार आवंटित निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों की सूची शाला दर्पण पोर्टल अपलोड करना एवं साथ ही कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर Scholarship Module में उपलब्ध करवाना।	दिनांक 18.08.2023 तक
17	कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर	चयनित 1500 विद्यार्थियों की योजनावार/मेरिट वार सूची के अनुसार आवंटित निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों की सूची जारी करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना।	21.08.2023 तक
18.	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-(मुख्यालय)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार प्रवेश की अंतिम सूचना निदेशालय को भिजवाना	25.08.2023 सायं 6 बजे तक

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत अन्तिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को निम्नलिखित चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें प्रवेश दिया जायेगा।

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	बोर्ड जिससे संबंद्धत्ता प्राप्त है	छात्र/छात्रा जिनको प्रवेश दिया जायेगा
1	नागौर	वीर तेजा बाउमावि तेजारथली, मारवाड–मूण्डवा नागौर	RBSE	केवल छात्राएं
2	नागौर	टैगोर शिक्षण संस्थान उमावि कुचामन सिटी नागौर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
3	नागौर	सेन्ट जेवियर उमावि नागौर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
4	टोंक	सेन्ट सोल्जर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, टोंक	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
5	भरतपुर	डी. पी. एम. उमावि सरसैना, भरतपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
6	भरतपुर	श्री राधे (एस.आर.) सीनियर सेकैण्डरी स्कूल, नदबई, भरतपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
7	भरतपुर	सीनियर सैकण्डरी आदर्श पब्लिक विद्या मंदिर नदबई, भरतपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
8	भरतपुर	राजेश पायलेट उमावि शेरगढ बयाना भरतपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
9	भरतपुर	बी0एस0 पब्लिक उमावि सेवर रोड भरतपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
10	भरतपुर	कला विद्या मन्दिर उमावि कासगंज रोड नदबई भरतपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
11	भरतपुर	आदर्श टैगोर शिक्षा समिति आवासीय उमावि 132 के.बी.जी.एस.एस. के सामने कुम्हेर रोड नदबई भरतपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
12	सवाई माधोपुर	ग्रामीण महिला विद्यापीठ उमावि मैनपुरा सवाई माधोपुर	RBSE	केवल छात्राएं
13	धौलपुर	आदर्श विद्या मंदिर उमावि घण्टाघर रोड, धौलपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
14	धौलपुर	ऋषि गालव उमा विद्यापीठ धौलपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
15	धौलपुर	सेन्ट कोनार्ड्स उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
16	धौलपुर	गोविन्द पब्लिक स्कूल, उमावि धौलपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
17	हनुमानगढ	के0आर0 आदर्श उमावि संगरिया, हनुमानगढ	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
18	श्री गंगानगर	डी.ए.वी. उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
19	चूरू	आईडियल पब्लिक स्कूल, राजगढ, (चूरू)	CBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
20	चूरू	श्री चन्द्रशेखर विद्यापीठ संस्थान उमावि सुजानगढ, चुरू	RBSE	केवल छात्र
21	झुन्झुनू	राजस्थान पब्लिक उमावि गणपति नगर, झुन्झुनू	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
22	झुन्झुनू	रविन्द्र पब्लिक उमावि झुन्झुनू	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
23	झुन्झुनू	कैम्ब्रिज किड्स गार्डन पब्लिक स्कूल सिमानी बुहाना झुन्झुनू	CBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
24	झुन्झुनू	राजस्थान पब्लिक सी0सै0 चिडावा झुन्झुनू	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
25	झुन्झुनू	राजस्थान पब्लिक उमावि बिसाउ, झुन्झुनू	RBSE	केवल छात्र
26	झुन्झुनू	जी.आर. पब्लिक उमावि, झुन्झुनू	RBSE	केवल छात्र
27	झुन्झुनू	राजस्थान पब्लिक बालिका उ.मा.वि. झुन्झुनू	RBSE	केवल छात्राएं
28	सीकर	भारतीय उमावि चौधरी चरणसिंह नगर सीकर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
29	सीकर	सुभाष विद्या मन्दिर उमावि सेवद बडी, सीकर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
30	सीकर	श्री राम शिक्षा निकेतन सी0सै0 स्कूल, चिड़िया टीबा, सीकर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

31	सीकर	ज्ञानदेव पब्लिक उमावि गायत्री नगर राधाकृष्णपुरा सीकर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
32	सीकर	विद्या भारती पब्लिक स्कूल तोदीनगर सीकर	RBSE	केवल छात्र
33	सीकर	भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रींगस सीकर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
34	सीकर	स्वामी केशवानन्द उमावि, रामगढ शेखावटी सीकर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
35	सीकर	संस्कार शिक्षण संस्थान उमावि दांता, सीकर	RBSE	केवल छात्र
36	सीकर	सरस्वती शिक्षण संस्थान उमावि, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर	RBSE	केवल छात्र
37	अलवर	राव ऐज्यूकेशन एकेडमी कोठी नारायणपुर राजगढ अलवर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
38	जयपुर	श्री महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ रेनवाल जयपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
39	जोधपुर	महेश उमावि जोधपुर	RBSE	केवल छात्र
40	कोटा	भुवनेश बाल विद्यालय कोटा	CBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
41	झालावाड़	संकल्प एकेडमी उमावि झालावाड़	CBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
42	जालौर	सरस्वती विद्या मन्दिर उमावि मालवाड़ा जालौर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
43	जालौर	सरस्वती विद्या मन्दिर उमावि भाद्राजून, जालौर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
44	सिरोही	सेन्ट मीरा उमावि शिवगंज सिरोही	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
45	उदयपुर	विद्या भवन उमावि उदयपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
46	उदयपुर	महिला मंडल उमावि उदयपुर	RBSE	केवल छात्राएं
47	उदयपुर	बाल विनय मन्दिर उमावि उदयपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
48	उदयपुर	राणा प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीण्डर, उदयपुर	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
49	प्रतापगढ़	समन्तभद्र विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय नन्दनवन, धरियावद, प्रतापगढ़	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
50	प्रतापगढ़	ट्रिनिटी एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलौट, प्रतापगढ़	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो
51	बांसवाड़ा	पायोनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, गढ़ी, बांसवाड़ा	RBSE	छात्र व छात्राएं दोनो

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(125)

माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना)

कक्षा 6 में प्रवेश पूर्व परीक्षा सत्र 2023–24 हेतु आवेदन पत्र

आवेदन कमांक :– . . . .

District for Exam Centre:- 1-................................(Only One District)

मेरा आवेदन पत्र विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु निम्न संवर्ग में (✓ करें) प्रस्तुत है :–

SC (विभागीय)		ST (विभागीय)		MBC	
ST (TAD) 8 जिले		ST (TAD) शेष 25 जिले			

विद्यार्थी का प्रमाणित फोटोग्राफ व हस्ताक्षर

1.	छात्र/छात्रा (आवेदक)का नाम (अग्रेजी में)	....
2.	जन्म तिथि (अंकों में)	....
3.	पिता का नाम (अंग्रेजी में)	
4.	माता का नाम (अग्रेजी में)	
5.	विद्यार्थी के आधार नम्बर	
6.	जनआधार कार्ड नंबर –................................	
7.	लिंग (Gender)– ....(Male / Female)	
8.	PH (Physical Handicap) Status:-.................... (YES / NO)	
9.	जाति वर्ग श्रेणी .... (SC/ ST/ MBC/ ST (TAD))	
10.	यदि विद्यार्थी TAD मूल क्षैत्र का है (Tribal Area for only ST) – (YES / NO) ------- TAD क्षैत्र के जिले का नाम................ब्लॉक का नाम–	
11.	मूल निवासी राज्य (State of Bonafied Residence – राजस्थान	
12.	मूल निवास जिला (District of Bonafied Residence)-................................	
13.	निवास का पूरा पता (Permanent Address)	....
14.	गांव .... पोस्ट .... वाया	
	ग्राम पंचायत .... ब्लॉक .... पंचायत समिति/नगर निकाय	
15	जिला .... पिनकोड .... मोबाईल नं0	
	Email Address	
16	माता–पिता की वार्षिक आय (वर्ष 2022–23)	आयकरदाता हां/नहीं
17	कक्षा 5 में कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण पत्र के रोल नम्बर/कमांक..............................	
18	कक्षा 5 में अध्यनरत विद्यालय का नाम..	
19	कक्षा 5 मे अध्ययन का माध्यम (✓ करें)	हिन्दी English–
20.	छात्र/छात्रा के विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना में अध्ययन कर चुके अथवा अध्ययनरत भाई–बहनों का विवरण :–	

क्र.सं.	भाई–बहन का नाम	अंतिम कक्षा	योजना के विद्यालय का नाम	सत्र
1				
2				

21.	प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आप जिन विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहेगें। (प्राथमिकता के क्रम में अनिवार्य रूप से कम से कम 05 विद्यालयों के नाम अंकित करें। (विद्यालयों की सूची) 1... 2... 3... 4... 5...

नोट :— 1. शाला दर्पण पोर्टल पर जिस विद्यार्थी ने ऑन लाईन आवेदन दिया है उसके मोबाईल नम्बर पर ही मैसेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड देवें। अतः एक विद्यार्थी केवल एक ही आवेदन ऑन लाईन करें इसके लिए आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर आधार नम्बर से लिंक होना अनिवार्य है, ताकि एक आधार नम्बर से दो आवेदन नहीं भर सके।

2. एक मोबाईल से अधिकतम दो आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं।

3. प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय छात्र या अभिभावक के मोबाईल नम्बर, आवेदन क्रमांक एवं विद्यार्थी की जन्मतिथि से डाउनलोड करवाये जाये।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना)

कक्षा 6 में प्रवेश पूर्व परीक्षा सत्र 2023–24 हेतु प्रवेश पत्र

नामांक :– ....

आवेदन कमांक :– . . . .

मेरा आवेदन पत्र विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु निम्न संवर्ग में (✓ करें) प्रस्तुत है :–

SC (विभागीय)		ST (विभागीय)		MBC	
ST (TAD) 8 जिले		ST (TAD) शेष 25 जिले			

विद्यार्थी का प्रमाणित फोटोग्राफ व हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा .... पुत्र/पुत्री श्री ....

श्रैणी.............................. लिंग..........................जन्मतिथि.................................. मूल जिला..............................

एवं परीक्षा केन्द्र जिला .... को विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रवेश पूर्व परीक्षा 2023–24 के परीक्षा केन्द्र ....पर सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

परीक्षा दिनांक 23.08.2023 वार रविवार समय प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक होगी। परीक्षा केन्द्र पर नियत समय से आधा घण्टा पूर्व पहुंचना आवश्यक है।

हस्ताक्षर मय मोहर
प्रभारी अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

माता/पिता और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

(काउन्सलिंग/अन्तिम चयन के समय आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

मैं ....पुत्र/पुत्री...............................घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मैं (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना) के कक्षा 6 में प्रवेश पूर्व परीक्षा सत्र 2023–24 से सम्बधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है।
2. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है, भविष्य में प्रदत्त तथ्यों में कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी एवं मैं विभाग द्वारा छात्र/छात्रा के लिए विद्यालय को पुनर्भरण की गई समस्त राशि विभाग को वापस जमा कराने के लिए बाध्य रहूंगा।
3. पूर्व में मेरे एक से अधिक पुत्र–पुत्री/भाई–बहन ने इस योजना के अंतर्गत न तो अध्ययन किया है और न ही वर्तमान में एक से अधिक अध्ययनरत है ।
4. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट https://rajshaladarpan.nic.in/SD4/scholarship/HomePage.aspx से ही डाउनलोड करूँगा/करूँगी।
5. संस्था में प्रवेश के समय मेरे मूल दस्तावेजो का अन्तिम सत्यापन किये जाने पर यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं का होगी। ऐसे में मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
6. मैं इस तथ्य से भलीभाँति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का परीक्षा से पूर्व कोई सत्यापन नहीं किया गया है अतः मैं समस्त वांछित मूल दस्तावेज प्रवेश के समय आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय–माध्यमिक) कार्यालय से प्रमाणीकरण करवाने के पश्चात प्रवेश देने वाली संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दुँगी।
7. आवंटित संस्था में प्रवेश के समयः– 1. सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी राजस्थान के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की प्रति 2. सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति 3. छात्र–छात्रा की कक्षा 5 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र 4. माता–पिता का आय प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट–1) 5. माता–पिता का दो से अधिक संतान योजनांतर्गत लाभान्वित न होने का स्वघोषणा पत्र (परिशिष्ट–2) 6. कक्षा 5 उतीर्ण करने की ऑनलाईन प्राप्त टी.सी. आदि उक्त दस्तावेज आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रवेश देने वाली संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दुँगी। अन्यथा मेरा प्रवेश निरस्त समझा जाए।
8. आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर मेरी प्रवेश पात्रता स्वतः रद्द समझी जावेगी। ऐसे में मैं किसी प्रकार की पुनर्भरण राशि लौटाने का दावा करने का हकदार नहीं रहूँगा।

दिनांकः– ....

माता/पिता के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(परिशिष्ट–1)

आय प्रमाण–पत्र

(काउन्सलिंग/अन्तिम चयन के समय आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
(यह घोषणा पत्र माता/पिता/संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

भाग–1 (स्वघोषणा)

1. छात्र/छात्रा के माता/पिता/संरक्षक का नाम : ....
2. निवास स्थान का पूरा पता : ....
ग्राम : .... पोस्ट : .... तहसील : .... जिला : .... पिन : ....

माता/पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण

(1)	कृषि भूमि से आय	
(2)	वेतन, पेंशन, नियोजन, मजदूरी से आय	
(3)	मशीनरी, किराया, दुकान, व्यवसाय से आय	
(4)	ब्याज, लाभांश, अन्य स्त्रोतों से आय	
	कुल वार्षिक आय :–	

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक :–

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम ....

भाग–2 (शपथ पत्र)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूं कि मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु .... अक्षरे रु .... है। उक्त शपथपत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथपत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत या मिथ्या होना अथवा किन्हीं तथ्यों में फेर–बदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 177, 197, 198, 200 एवं 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

दिनांक :–

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम ....

भाग–3 (दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाणपत्र)

हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थिया ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थिया के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति
नाम....................................
पदनाम....................................
दिनांक....................................

(2) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति
नाम....................................
पदनाम....................................
दिनांक....................................

नोट :– (उत्तरदायी व्यक्ति यथा–सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, महापौर, उप महापौर, नगर निगम–नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर, राजकीय अधिकारी, कर्मचारी से अभिशंषा करवाएं)

भाग–4 (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु .... निवासी .... ने मेरे समक्ष उपस्थित हो कर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत/जिसकी पहचान .... के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रमाणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायबतहसीलदार, नगर निकायों के अधिकारी, नोटेरी पब्लिक, ऑथ कमिश्नर, राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर प्रमाणीकरण करवाएं)

(परिशिष्ट–2)

स्व–घोषणापत्र

(काउन्सलिंग/अन्तिम चयन के समय आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

(विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में

आवेदक छात्र/छात्रा के माता/पिता/अभिभावक द्वारा अनिवार्यतः दिया जाएगा)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी .... पोस्ट .... तहसील .... जिला .... राज्य राजस्थान, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययन कर चुके अथवा अध्ययनरत संतानों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	नम	पुत्र/पुत्री	आयु
1			
2			
3			

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

दिनांक :–

हस्ताक्षर
माता/पिता/अभिभावक